मौर्यकाल में वन्यजीव संरक्षण

डॉ. विधि शर्मा

प्रस्तावना :

राजनीतिक इतिहास को सांस्कृतिक इतिहास से पृथक नहीं किया जा सकता, और सांस्कृतिक इतिहास मात्र घटनाओं और व्यक्तियों की सूची ;ब्जंसवहनमद्ध नहीं है वरन यह मानव तथा प्रकृति के बीच संवाद की सतत् या अटूट प्रकिया है, जिसका उद्देश्य इतिहास दर्शन के जर्मन विद्वान लियोपोल्ड वान रांके के शब्दों में "मानवीय कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना" है। प्रख्यात अमेरीकी पर्यावरण इतिहासकार डोनाल्ड वर्सटर का कहना है "मूल रूप में मानव भी प्रकृति का अंग है, अतः जंगलो, जानवरों, कीटो और सूक्ष्म जीवों के साथ क्या हो रहा है इस बात से मानवीय कार्य व्यवहार को पृथक करना असंभव है।" इतिहास की नवीन व्याख्या में पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण एक नवीन तत्व है। इसके अलावा ओजोन परत के क्षरण, ग्लोबल वार्मिगं, विलुप्त हो चुकी तथा लगातार विलुप्त हो रही जैव–प्रजातियों के कारण गहरी पर्यावरणीय चिन्ता के वर्तमान युग में पर्यावरण संरक्षण की परम्पराओं तथा संस्थागत पर्यावरण सरंक्षण यथा धर्म या राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन प्रासांगिक है। प्रस्तुत आलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्ययुग में राज्य प्रायोजित वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को रेखांकित करता है। "उपयोगिता" इस संरक्षण का प्रधान आधार था। वन राज्य के आय शरीर का अंग थे एवं वन्यजीव, वन उत्पाद का प्रमुख अंग थे अतः राज्य की आय में निरन्तर वृद्धि हेतु मौर्य राज्य ने अपनी स्थापना के साथ ही वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु विविध नियमो तथा संगठन की रचना की। कालान्तर में महान मौर्य सम्राट अशोक ने अहिंसा की भावना से प्रेरित होकर वन्यजीव सरंक्षण पर बल दिया। प्रस्तुत आलेख में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों के आधार पर वन्यजीव संरक्षण की मौर्ययुगीन परम्परा को समझने का प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर : वन्यजीव संरक्षण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, कुप्याध्यक्ष, नागवन

वन एवं वन्यजीवों के प्रति सम्मान व संरक्षण की भावना युगों युगों से भारतीय संस्कृति का अंग रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रधान केन्द्र मोहन जोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध "पशुपति" मुद्रा में हाथी, चीता, गैंडा तथा भैंसा का अंकन भारत में वन्य जीवन के प्रति सम्मान का प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य है। वैदिक साहित्य में भी ब्राह्मणो को प्रदत्त आश्रमों के अंदर व बाहर जीव हत्या निषिद्ध थी। कालान्तर में गरूड़, वृषभ, हाथी, वानर, सिंह, हंस, मयूर, सर्प आदि को विविध देवी देवताओं के साथ संबद्ध कर उन्हें धार्मिक संरक्षण प्रदान किया गया। धार्मिक क्रान्तियों के युग में जैन तथा बौद्ध धर्म ने जीव हिंसा को पूर्णतः निषिद्ध किया। चौथी शताब्दी ई.पू. में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कुप्याध्यक्ष अर्थात वन विभाग प्रमुख की नियुक्ति की गई। यह अधिकारी 'अर्थशास्त्र' जिसकी रचना चंद्रगुप्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा की गई थी, में निहित वन एवं वन्यजीव संरक्षण नियमो को कार्यान्वित करवाने के लिए उत्तरदायी था। अर्थशास्त्र, वस्तुतः भारत का प्रथम अधिकारिक दस्तावेज है जिसमें वन्यजीव संरक्षण के विविध साधनों का उल्लेख है।

भारतीय इतिहास का मौर्य युग (323ई.पू. से 184ई.पू.) : एक संक्षिप्त परिचय

मौर्य काल के इतिहास के पुनर्लेखन हेतु आचार्य कौटिल्य द्वारा दण्डनीति एवं राजनय पर लिखा गया महान ग्रंथ "अर्थशास्त्र" (चौथी शताब्दी ई.पू.), चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दूत मेगस्थनीज का यात्रा वृतान्त "इण्डिका" तथा अशोक के विविध अभिलेखों जैसे समकालीन प्राथमिक स्त्रोत एवं कई अन्य स्त्रोत उपलब्ध है। आचार्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब तथा सिंध को यूनानी दासता से मुक्त कर के तथा मगध में नंद वंश का नाश करके 323 ई. पू. में विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकार वीसेन्ट ए. स्मिथ उसके राज्य विस्तार का वर्णन करते

हुए लिखते है कि "दो हजार से भी अधिक वर्षो पूर्व, भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ प्रयास करते रहे और जिसे सोलहवी–सत्रहवी शताब्दी के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं किया।[1] सार रूप में मौर्य काल ईरान से मैसूर तक फैले विशाल साम्राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था तथा अशोक की धम्मनीति के लिए सुविख्यात है। प्रस्तुत आलेख मौर्य काल की एक अनन्य विशेषता– "राज्य प्रायोजित वन संरक्षण" को लक्ष्य करता है।

प्रस्तुत आलेख मौर्यकाल की एक अनन्य विशेषता–"राज्य प्रायोजित वन्यजीव संरक्षण" को लक्ष्य करता है।

मौर्यकाल में वन्यजीव संरक्षण

(I) उद्देश्य–मौर्यकाल राष्ट्रीयकरण का काल था। अर्थशास्त्र में विविध उद्योगों, वनों तथा जल संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा की गई है। कौटिल्य राज्य को साध्य मानते हुए राज्य हित में वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रायोजन करते है। वन, राज्य की आय के सात स्त्रातों अथवा "आय शरीर" का अंग थे।

समाहर्ता दुर्ग राष्ट्र खनि सेतुं वनं ब्रजं वणिकपथं चावेक्षेत।[2]

वनों पर राज्य का एकाधिकार था। वनों से 12 प्रकार की सामग्री अथवा पैदावार प्राप्त होती थी।[3] वनों की पैदावार में मगर, चीते, शेर, बाघ, हाथी, भैंसे, याक जैसे पशुओं या बड़ी–बड़ी मछलियों और पक्षियों तथा साँपों की खाल, चमड़े, स्नायुओं, हड्डिया, दाँतो, सींगो, खुरों तथा पूँछों का भी उल्लेख किया गया है। यहां वनों के बचाव के साथ वन्यजीवों के संरक्षण का भी निर्देश है। इस प्रकार वनों तथा वन्यजीवों की उपयोगिता, मौर्यकालीन संरक्षण कार्यक्रम का प्रधान आधार थी। इसके साथ ही धम्म नीति के प्रवर्तक अशोक ने अहिंसा की पवित्र भावना से प्रेरित हो कर वन्यजीव संरक्षण पर बल दिया।

(II) संगठन–सरंक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य के समाहर्ता (कोषाधिकारी) के अधीन "कुप्याध्यक्ष" पद का सृजन किया गया था। "कुप्याध्यक्ष" वस्तुतः वन विभाग का प्रमुख था। जो संरक्षण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा वनों से होने वाली आय को राजकोष में जमा करवाने के लिए उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए वनपाल, नागवनाध्यक्ष, वृक्ष मर्मज्ञ, सैमिक (सीमारक्षक), वन चरक (वनवासी) जैसे अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे।[4]

इसके अतिरिक्त वन उत्पादों की तस्करी वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने में विवीताध्यक्ष (चरागाह विभाग का अध्यक्ष) तथा सूनाध्यक्ष (राजकीय पशुवधशाला का अध्यक्ष) कुप्याध्यक्ष की सहायता करते थे।[5] वन विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे।[6]

(III) वन्यजीव संरक्षण की योजनाएँ व प्रयास– मौर्यकाल में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु नीति निर्धारण करते हुए कौटिल्य अर्थशास्त्र में निर्देश देते है कि –

रक्षेत् पूर्वकृतान्राजा नवांश्चाभिप्रवर्तयेत।[7]

राजा प्रथमतः पूर्व वनों की रक्षा करे और तदुपरान्त आवश्यकतानुसार नए वनों का विकास करे। वनों के विकास हेतु एक प्रकार के वन सोपान का निर्देश किया गया जिसमें गाँवो तथा जनपदों की सीमाओं पर क्रमशः लघुवनों, चारागाहों, सोमारण्य तथा तपोवन, विहारवन, हस्तिवन आदि के विकास की परिकल्पना की गई।[8] ये सभी प्रकार के वन वन्य जीवों के निवास व संवर्धन के केन्द्र थे।

(अ) अभयवनों की अवधारणा – वनयजीवों की सुरक्षा हेतु वर्तमान "वन्यजीव अभ्यारण्यों" की भाँति मौर्यकाल में भी "अभयवनों" की अवधारणा प्रचलित थी। इन अभयरणों में निवास करने वाले पशुओं को मारना राजाज्ञा द्वारा निषिद्ध था। इनमें मृग, गैंडा, भैंसा, आदि पशु तथा मोर जैसे पक्षी तथा मछलियाँ शामिल थे।

सूनाध्यक्षः प्रदिष्टाभयानामभयवनवासिनां च मृगपशुपक्षि।

मत्स्यनां बन्धवधहिंसायामुत्तमं दण्डं कारयेत।[9]

कुछ अन्य पशुओं तथा पक्षियों का संरक्षण इस सिद्धान्त पर किया जाता था कि उनको मारना प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल था।[10]

(ब) संरक्षित पशु पक्षियों की सूची – अर्थशास्त्र में ऐसे पशुओं, मछलियों तथा विहार (शिकार) पक्षियों की लंबी सूची दी गई है, जिन्हें मारना तथा पकड़ना निषिद्ध था। इस सूची में समुद्र में पैदा होने वाले : हाथी, घोड़े, पुरूष, बैल, गधा आदि की आकृति वाले, मत्स्य, सारस आदि जलचर प्राणी य तालाबों, झीलों, नदियों व नहरों में पैदा होने वाली मछलियाँ, क्रोंच, टिटहरी, जलकौवा, हंस, चक्रवाक, जीवंजीवक, भृंगराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मदन मैना और बुलबुल, तीतर, बटेर, मुर्गा आदि क्रीडायोग्य पक्षी सम्मिलित है। इन्हें पकड़ने अथवा मारने पर प्रथम साहस दण्ड का विधान था।[11]

(स) कौटिल्य का संरक्षण का एक और सिद्धान्त था कि उन सभी प्राणियों का संरक्षण किया जाए जिन्हें शुभ (मंगलयाः) माना जाता है।[12]

(द) सम्राट अशोक के प्रयास – सम्राट अशोक ने अपने एक स्तम्भ लेख (स्तम्भ लेख 5) में कुछ पशु–पक्षिओं के संरक्षण की घोषणा की है। अशोक का जीव रक्षा का सिद्धान्त था कि " किसी जीव को दूसरे जीव को अपना आहार नही बनाना चाहिए" (जीवेन जीवे नो पुसितविये)। अशोक द्वारा जारी संरक्षित पशु–पक्षियों की सूचि में "शुक, सारिका, असन, चक्रवाक, हंस, नंदिमुख, गेलाट, अम्बाक पिलिका, कच्छपी, अस्थीहीन मत्स्य, वेद–वेयक, गंगा–पपुटक, संकुजमछ, कछुआ और साही, खरगोश जैसी गिलहरी, बारासिहें सांड़, घर के कीट, श्वेत कपोत, ग्राम कपोत और ऐसे सभी चौपाये जो खाये न जाते हों और न किसी काम में आते हो, आदि को सम्मिलित किया गया था। अशोक की यह सूची कौटिल्य के संरक्षित पशु–पक्षिओं की सूचि से मिलती जुलती है, साथ ही "व्यर्थ अथवा जीव जन्तुओं को मारने के लिए जंगलो को न जलाने का निर्देश दिया गया।[13]

सैन्य उद्देश्यों से संरक्षित वन्यजीव : हाथी

मौर्यकाल साम्राज्य निर्माण व साम्राज्य विस्तार का काल था। इस हेतु होने वाले युद्धों में हाथियों का बहुत अधिक महत्त्व था। कौटिल्य के कथनानुसार राजाओं की विजय और शत्रु की सेना का संहार उन्हीं पर निर्भर रहता है।

हस्तिप्रधानों विजयो राज्ञाम।[14]

हस्तिप्रधानो हि परानीकवधइति।[15]

मेगस्थनीज अपने यात्रा वृतान्त "इण्डिका" में उल्लेख करते है कि "हाथी लड़ाई में विजय अथवा पराजय का निर्णय करते थे।"[16] हाथी युद्ध के अतिरिक्त कूटनीति का भी साधन थे, क्योंकि मगध के हाथियों की बहुत मांग थी। यूनानी लेखक प्लूटार्क बताता है कि चंद्रगुप्त ने बेबिलोन के शासक सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे।[17] हाथियों के इसी महत्त्व के कारण हाथियों को राजकीय संरक्षण प्रदान करते हुए, हाथियों के जंगल नागवन विकसित किए गए तथा नागवनाध्यक्ष तथा नागवनपाल आदि अधिकारियों के साथ हस्तिपक (महावत), पादपाशिक, सैमिक, वनचरक, पारिकार्मिक जैसे कई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।[18] हाथियों को मारने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राणदण्ड का प्रावधान था।

हस्तिघातिनः हन्युः।[19]

कलिंग, अंग और पूर्वीय करूश देश के हाथी सर्वोत्तम, दशार्ण तथा अपरान्त (पश्चिम देश) के हाथी मध्यम तथा गुजरात और पंजाब के हाथी अधम कहे जाते है।[20] कौटिल्य तथा मेगस्थनीज दोनों ने हाथियों के बारे में सविस्तार लिखा है, जो उनके समकालीन महत्त्व का साक्ष्य है।

किन्तु मौर्य कालीन नागवन आज के एलिफेन्ट रिर्जव', जहॉ एशियाई प्रजाति के हाथियों का संरक्षण व सवर्धन होता है, नहीं थे। वे वस्तुतः युद्ध के लिए अधिकाधिक संख्या मे हाथी उपलब्ध करवाने वाले हाथी भंडार थे जहॉ हाथियों के आहार, विहार, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण की सारी व्यवस्थाए थी। इन नागवनों में संरक्षित हाथी बड़ी संख्या में युद्ध में काम आ जाते थे। चंद्रगुप्त तथा वेद के बीच हुए युद्ध में बौद्ध ग्रंथ मिलिन्दपन्हो द्वारा 10,000 हाथियों के मारे जाने की सूचना दी।[21] यह सूचना अतिरंजित हो सकती है तथापि युद्ध में हाथियों का काम आ जाना स्वाभाविक था।

यदपि मौर्य काल में युद्ध के हाथी प्राप्त करने के लिए हाथियों को संरक्षित जीव का दर्जा प्रदान किया गया था। किन्तु हाथियों के शिकार पर प्राणदण्ड़ के विधान के कारण मिजोरम, नागालैण्ड तथा अरूणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी प्रांतो (जो कि ब्रिटिश काल से पूर्व किसी भारतीय राज्य के अधीन नहीं रहे) को छोड़कर शेष भारत में हाथी मांस का भक्षण स्वतः निषिद्ध हो गया।[22]

यह निषेध हाथियों के संरक्षण में सहायक रहा तथापि हाथीदाँत की प्राप्ति हेतु हाथियों का शिकार आधुनिक काल तक होता रहा।

उपसंहार

इस प्रकार आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व स्थापित मौर्य साम्राज्य ने वन तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु आधिकारिक रूप से प्रयास किए। उल्लेखनीय है कि उस युग का परिचय आज की दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के विलुप्त होने, जैव विविधता को बनाए रखने, जैव श्रृंखला को बनाये रखने तथा जीवों के लिए आवास हेतु विस्तृत वन क्षेत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी गम्भीर चुनौतियाँ से नहीं था। अतः मौर्य राज्य की संरक्षण नीति राज्य की आय हेतु वनो तथा वन्यजीवों की उपयोगिता एवं अहिंसा के पवित्र विचार से प्रेरित थी। तथापि संरक्षण के मौर्यकालीन प्रयास अभयवन जैसी अवधारणाओं के साथ आज भी प्रासांगिक है।

वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण हेतु "प्रोजेक्ट एलिफेन्ट" प्रारम्भ किया गया। इसके तहत् 16 राज्यों में 32 एलिफेन्ट रिर्जव बनाए गए है।

व्याख्याता इतिहास
राजकीय महाविद्यालय, सिरोही

संदर्भ

1. वी.ए.स्मिथ "अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" पृ. 126
2. कौटिल्य, अर्थशास्त्र (अधिकरण 02/अध्याय 06) (वाचस्पति गैरोला द्वारा प्रस्तुत, " कौटिलीय अर्थशास्त्रम्" चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी द्वारा 2009 में प्रकाशित)
3. वहीं, 2/17
4. वहीं, 2/17
5. वहीं, 2/34 व 26
6. वहीं, 2/35
7. वहीं, 2/1
8. वहीं, 2/2
9. वहीं, 2/26
10. राधाकुमुद मुखर्जी, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका काल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1993, पृ. 139
11. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 2/26
12. वहीं, 2/26
13. राधाकुमुद मुखर्जी, अशोक, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1986, पृ. 180–185
14. कौटिल्य, अर्थशास्त्र 2/2
15. वहीं, 7/2
16. राधाकुमुद मुखर्जी, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पूर्वोक्त, पृ. 215
17. वहीं, पृ. 54
18. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 2/2
19. वहीं 2/2
20. वहीं 2/2
21. राधाकुमुद मुखर्जी, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पूर्वोक्त पृ. 54
22. माधव गाडगिल, रामचंद्रगुहा, द फिशर्ड लैण्ड – एन इकोलोजिकल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ओ.यू.पी. 1992, पृ. 86